दिनांक: 04.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी 22500 रुपये -/की रकम करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साईबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर साईबर सैल द्वारा दिनांक 31.01.2024 को थाना फतेहपुर पर प्राप्त **साईबर शिकायत संख्या 33101240012803** में त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडिता फरजाना राव पत्नी राशिद निवासी ग्राम सरदाहेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के साईबर फ्रॉड में गये **22500/- रुपये** वापस कराये गये। पीडित द्वारा रुपये वापस आने पर फतेहपुर पुलिस का आभार प्रकट किया है।

साईबर हेल्प डेस्क टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. उ0नि0 विवेक वैद्यवान थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3.उ0नि0 आशीष कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।
4.कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।
5.का0 2214 कुमर पाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर।

CAUTION- **किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।**

दिनांक: 04.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर , उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 120 लीटर कच्ची शराब , 160 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एंव क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर **01 अभियुक्त करन उर्फ नाथू पुत्र रविन्द्र नि0 ग्राम कुरलकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ग्राम कुरलकी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 120 लीटर कच्ची शराब, 160 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 52/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। अधिक मुनाफा कमाने के लिये कच्ची शराब बनाकर आस पासे के क्षेत्रो में बेचता हूँ,जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

करन उर्फ नाथू पुत्र रविन्द्र नि0 ग्राम कुरलकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

1. 120 लीटर कच्ची शराब खाम व 160 लीटर लहन।
2. 01 चुल्हा, 01 पतीला सिल्वर , 01 प्लास्टिक बोतल , 01 लोहे का ड्रम व 01 पाइप बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 29/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 584/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री रामबीर शाक्य (चौकी प्रभारी गोपाली) थाना देवबन्द सहारनपुर।

2- का0 243 रोहित कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

3- है0का0 417 अकबर अली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

दिनांक: 04.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे आज दिनांक 04.02.2024 को पुलिस लाईन में महिला परिवार परामर्श केन्द्र जनपद सहारनपुर में विवादित परिवारो की काउंसलिंग करने के लिये महिला परिवार परामर्श केन्द्र से उपनिरीक्षक मधु, म0का0 1132 सरिता, की उपस्थिति में काउन्सलर श्रीमति सुरभि सिंह, मीनू शर्मा, राजेश जैन व कुलभूषण जैन के द्वारा काउंसलिंग कराई गयी।

परिवार परामर्श केन्द्र मेंकुल 07 प्रकरणो में दोनो पक्षो को नोटिस देकर काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें 06 प्रकरणों मे दोनो पक्ष उपस्थित आये। व 01 प्रकरणो में दोनो पक्षों में से कोई भी पक्ष उपस्थित नही हुयें। जिनकी काउंसलिंग करने के बाद काउन्सलरो द्वारा 01 पक्ष मे समझौता कराया गया। व 01 पक्ष में लगातार अनुपस्थित होने के कारण पत्रावली बन्द की गयी।

दिनांक: 04.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घंटे में घर में घुसकर मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.24 को वादी श्री प्रशान्त शर्मा पुत्र स्व0 नरेशचन्द्र शर्मा ग्राम पदम नगली थाना नकुड जिला सहारनपुर द्वारा थाना नकुड़ पर एक लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के भाई प्रवीण शर्मा व भाभी के साथ मारपीट कर व गाली गलौच करने तथा पथराव कर वादी के घर की खिडकी तोडना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 26/2024 धारा 147/149/452/323/504/506/336/427 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुये तत्काल अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना में शामिल **अभियुक्तगण 1.नीतीश पुत्र सतपाल सैनी नि0 ग्राम पदम नंगली थाना नकुड जिला सहारनपुर 2.अवनीश पुत्र सुरेन्द्र प्रधान नि0 ग्राम पदम नंगली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को बस अड्डा कस्बा नकुड़ के पास से समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त नितीश उपरोक्त ने बताया कि मैं कक्षा 10 तक पढ़ा लिखा हूँ एवं अभियुक्त अवनीश कुमार ने बताया कि मैं 12वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, ।हम दोनो का परचून की दुकान पर सामान के पैसे के लेन देन को लेकर हमारा झगड़ा नरेश शर्मा के लड़कों के साथ हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. नीतीश पुत्र सतपाल सैनी नि0 ग्राम पदम नंगली थाना नकुड जिला सहारनपुर।
2. अवनीश पुत्र सुरेन्द्र प्रधान नि0 ग्राम पदम नंगली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी-

घटना स्थल से बरामद ईंट पत्थर व रोड़े।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चीमा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. का0 202 विवेक धामा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 04.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थो की तस्करी के व इसमें सलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.02.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गश्त एवं चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **नितिन कुमार पुत्र जातीराम निग्राम हलवाना थाना फतेहपुर ,सहारनपुर** को हलवाना रोड़,आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 17/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समये से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै अधिक मुनाफा कमाने के लिये चरस का व्यापार करता हुँ और आस पास के क्षेत्रो में अधिक दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।आज जब मै चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नितिन कुमार पुत्र जातीराम नि0 ग्राम हलवाना थाना फतेहपुर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

250 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. हो0गा0 पीसी 1205 रमेश राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांकः -040202-24

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुरउत्तर प्रदेश ,

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त 01 को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछितवारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी/ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में ,पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार अधाना के कुशल नेतृत्व में उश्री 0नि0 वारण्टी अभियुक्त 01 शाहनवाज अहमद**गुरूवचन पुत्र हरद्वारीलाल निग्राम कुम्हारहेडा 0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर**) सम्बन्धित वाद संख्या(23/670- को कारण गिरफ्तारी बताते हुए आज दिनांक 04.02.2024 को इसके मसकन ग्राम कुम्हारहेडा थाना गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है 0कर मा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

गुरूवचन पुत्र हरद्वारीलाल निग्राम कुम्हारहेडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 0।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

वाद संख्या 23/6707 -मु 60 -धारा 23/67 - -0सं0अ0आबकारी अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः -

1. उ श्री 0नि0शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. हैधर्मेन्द्र कुमार 629 0का0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट

दिनांक: 04.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई सौर ऊर्जा प्लेट 150 वाट बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.02.2024 को वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र धर्मसिह नि0 ग्राम सांचलू थाना रामपुर मनि0, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की सौर ऊर्जा प्लेट 150 वाट, चिकित्सा कैन्द्र रामपुर मनि0 बाईपास रोड कस्बा रामपुर मनि0 सहारनपुर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनि0 पर मु0अ0सं0 35/2024 धारा 380 भादवि के अभियोग पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व चोरी घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.02.2024 को पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त **चन्द किरण पुत्र मदन नि0 मौ0 सराय कस्बा व थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से सौर ऊर्जा प्लेट 150 वाट बरामद हुई। अभियुक्त चन्द किरण उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मेरी उम्र 20 वर्ष है। मै पढा लिखा नही हूँ तथा नशे का आदि हूँ यह सौर ऊर्जा प्लेट मेंने अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए पूर्ति करने के लिये चोरी की थी जिसे मैं बेचने के लिए जा रहा था तथा रास्ते मे पकड़ा गया|

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

चन्द किरण पुत्र मदन नि0 मौ0 सराय कस्बा व थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

सौर उर्जा प्लेट 150 वाट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उप नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. का0 2215 ललित सिह थाना रामुपर मनि0 सहारनपुर
3. हो0गा0 1598 मुकेश कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

दिनांक: 04.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द,सहारनपर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम,अवैध शस्त्र रखने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 04.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 **अभियुक्त विशाल पुत्र साहब सिह नि0 ग्राम रणखण्डी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को ग्राम रणखण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01अवैध तमंचा,01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0स0 53/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल पुत्र साहब सिह नि0 ग्राम रणखण्डी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

बरामदगी –

01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 आजाद सिह थाना देवबन्द सहारनपुर।

2- उ0नि0 विकास चारण थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

3- है0का0 338 रविन्द्र गिरि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

5- का0 484 अरूण कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

6- का0 2449 मोहित थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

7- है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

दिनांक: 04.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर , उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 30.01.2024 को वादी मनोज पुत्र सुरेन्द्र निवासी रणखण्डी सहारनपर ने थाना देवबंद पर आकर लिखित सूचना दी बाबत सतेन्द्र पुत्र शीशपाल नि0 ग्राम रणखण्डी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर पर जाकर जान से मारने की नीयत से वादी व उसके परिवार पर फायर किया जिसके सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 44/24 धारा 307/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरमदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 44/24 धारा 307/452/504/506 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त **सतेन्द्र पुत्र शीशपाल नि0 ग्राम रणखण्डी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को आज दिनांक 04.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर ईश्वर की टुबैल जंगल ग्राम रणखण्डी से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हए, बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुद्ध अधि0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता –

सतेन्द्र पुत्र शीशपाल नि0 ग्राम रणखण्डी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 044/2024 धारा 307, 452, 504, 506 भादवि चालानी थाना देवबंद जनपद स0पुर
2. मु0अ0स0 0317/2021 धारा 147, 148, 323, 506 भादवि चालानी थाना देवबंद जनपद स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 आजाद सिह थाना देवबन्द सहारनपुर

2- उ0नि0 विकास चारण थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

3- है0का0 338 रविन्द्र गिरि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

5- का0 484 अरूण कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

6- का0 2449 मोहित थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

7- है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांकः 04-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गाँव सहारनपुर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का सरिया बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.02.2024 को वादिनी श्रीमति संयोगिता पत्नी सेठपाल नि0- ग्राम उमरी मजबता,थाना बड़गाँव द्वारा थाना बड़गाँव पर एक लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण 1.मोहकम पुत्र चुहड़ 2. शीषपाल पुत्र चुहड़ 3.बोबी पुत्र तिरसपाल 4.अंकुर पुत्र तिरसपाल निवासीगण ग्राम मजबता थाना बड़गाँव द्वारा वादिनी के पुत्र आशीष उर्फ कल्लू के साथ घुड़चढी के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर गाली गलौच व लाठी,डडो व लोहे की छड़ से मारपीट कर गंभीर रुप से घायल होने पर दौराने इलाज मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना बड़गाँव पर मु0अ0स0 -27/24 धारा 323/504/506/304 भादवि पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुये तत्काल अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बड़गाँव के कुशल नेतृत्व में थाना बड़गाँव पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नामजद/वाछिंत **अभियुक्त अंकुर पुत्र तिरसपाल निवासी ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव सहारनपुर हाल पता ग्राम नंधेड़ा थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर को** श्रीराम अस्पताल, कस्बा बडगांव के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.02.2024 को मैं ,मेरे चाचा 1.मोहकम 2.शीषपाल व और मेरा भाई बोबी अपने ताऊ जी के लड़के मोहित पुत्र बाली नि0 ग्राम मजबता थाना बड़गाँव की शादी में गये थे। जँहा पर आशीष उर्फ कल्लू पुत्र सेठपाल भी शादी में आया हुआ था। रात्रि में घुड़चढी के दौरान हमारे व आशीष के बीच डीजे पर गाना बजाने को लेकर गाली गलौच व मारपीट हो गयी थी। जिसमें आशीष उपरोक्त को चोट लग गयी तथा मुझे बाद में पता चला की आशीष की अस्पताल में दौराने इलाज मृत्यु हो गयी है। इस खबर को सुनकर मैं भागने कि फिराक में था तभी आज पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया तथा जिस सरिये से मैंने मारपीट की थी वो मैंने पुलिस को बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकुर पुत्र तिरसपाल निवासी ग्राम उमरी मजबता थाना बडगांव सहारनपुर हाल पता ग्राम नंधेड़ा थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी-

01 लोहे का सरिया (घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री ब्रह्मगिरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

3. का० 612 दीपक थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।